



भारत सरकार Government of India खान मंत्रालय **Ministry of Mines** भारतीय खान ब्यूरो **Indian Bureau of Mines**

माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र Makhupura Industrial Area अजमेर.—305 002 (राजस्थान) Ajmer- 305 002 (Rajasthan) फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165 Email-ro.ajmer@ibm.gov.in

Mine Code: 38RAJ24001

संख्या : RAJ/SRH-7/LST-7 Vol-III

दिनांक: 03.10.2022

प्रेषित : ख्रान एजेंट, लक्ष्मी चूना पत्थर खान, मेसर्स जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड,

पोस्ट-जेकेपुरम, जिला-सिरोही (राजस्थान) 307019

Email- sksaxena@lc.jkmail.com, plodha@lc.jkmail.com

Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Lakhsmi Cement Limestone Mine (Lease area 390.625Hect., ML No. 10/99) situated in Sirohi District of Rajasthan State.

महोदय.

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 23.09.2022 by the undersigned in presence of Shri Praveen Lodha Sr. GM (Mines):

OM (Milles).	
Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of
	Mining Plan (Approved on 24.12.2019): -
	1) During the year 2021-22, Interburden/ Face reject dumping was proposed between UTM grids E
	300516 to E 299450 & N2731196 to N 2732420 whereas actual dumping has been carried
	out between UTM grids E 300590 to E 299450 & N2731180 to N 2732600.
	2) Plantation during the year 2021-22 has not been carried out on proposed location.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- आपकी खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती है।
- आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

> वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :--

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा) ।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।
- 3 खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सिरोही (राजस्थान)।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो